झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...69........ वर्ष 20.23....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पारो देवी एवं अन्य,
ग्राम-ओपाग, पं०-चुंगरू,
प्र०-बरवाडीह, लातेहार

वाद प्रारंभ की तिथि
21/12/2023.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–69 / 2023

परिवादी श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम–ओपाग, पंचायत–चुंगरू, प्रखण्ड–बरबाडीह, जिला–लातेहार का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–05.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा PDS डीलर श्री सुनील सिंह, अनु0 सं0–30 / 07 के विरूद्ध राशन कार्ड के लिए 2 हजार रू0 लेने एवं पर्ची निकालकर राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि दिनांक–27.07.2023 को लातेहार जिला में जन सुनवाई के दौरान उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी किन्तु अबतक उन्हें राशन प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादीगण द्वारा PDS डीलर एवं पणन पदाधिकारी के विरूद्ध FIR करने एवं राशन दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)	**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
सदस्य,	अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।	राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx155

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद सं0–69 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम–ओपाग, पंचायत–चुगरू, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, लातेहार आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। दोनों पक्ष अनुपस्थित रहे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर प्रमाण पेश करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx27

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–69 / 2023	
30.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम–ओपाग, पंचायत–चुगरू, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार उपस्थित। आज की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। आयोग प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए यह मान रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निदान कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx154	